संख्या- 349 /2025 / 3489 /चार-2025- 1757337

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ: दिनांक 12 दिसम्बर, 2025

विषय:- भारतरत्न डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के प्रेक्षागृह के निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3446/सं0नि0-6(30) /2023-24, दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि भारतरत्न डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के प्रेक्षागृह के निर्माण तथा ऑडिटोरियम के बाहरी एवं आन्तरिक साज-सज्जा कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 288/2024 /1768/चार-2024 दिनांक 05 अगस्त, 2024 द्वारा रू0 4442.98 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 1555.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या- 200/2025 / 1069/चार-2025- 1757337 दिनांक 30 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 445.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में निर्देश दिये गये हैं कि परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा। उक्त संबंध में विवरण/ सूचना शासन में अप्राप्त है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतरत्न डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के प्रेक्षागृह के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि **रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही पूर्ण करते हुए एक माह में शासन को अवगत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) शासनादेश संख्या- 288/2024 / 1768/चार-2024 दिनांक 05 अगस्त, 2024 तथा शासनादेश संख्या- 200/2025 / 1069/चार-2025- 1757337 दिनांक 30 मार्च, 2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संस्कृति निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था-सी0 एंड डी0 एस0 को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 5,00,00,000.00 (रुपये पांच करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000900 भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- प्रबंध निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, निर्माण इकाई- 29, गोमती नगर, लखनऊ
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in